संख्या–105/26–ब0प्र0–2012–100(02)/2012

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण

लखनऊ दिनांक : 29 मार्च, 2012

विषयः केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 440.72 लाख अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या–5/ शा/ 1812 /12–5 /36/2/2011, दिनांक 06 मार्च,2012 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2010–231/10, दिनांक 21–3–2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–83 के उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0–4977.50 लाख में से राज्यॉश के मद में रु0–440.72 लाख (रुपया चार करोड़ चालीस लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2010–231/10, दिनांक 21–3–2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपद वार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशियल हैण्डबुक के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिये किया जायेगा तथा एस0सी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जाएगी जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्राशं प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जाएगा।

(5) इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएँ परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(6) उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग

निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्ष 2011–12 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में ही किया जायेगा।

(7) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(8) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक–"2515–अन्य ग्राम बिकास कार्यकम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरानिधानित योजनायें–0101– ग्रामीण स्वच्छता के कार्यान्वयन हेतु अनुदान (के0 80/रा0 20–रा)– 27–सब्सिडी" के नामे डाला जाएगा।

(9) शासकीय व्यय में मितब्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितब्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(11) आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जाएगी।

(12) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जाएगा।

2– आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–3–380/दस–2012 दिनांक 27मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

<u>संलग्नक–यथोक्त</u>

भवदीय,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त</u>

<u>प्रतिलिपि–</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
5– एन0आई0सी0 की प्रति।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/वित्त (बजट) अनु0–2।
7– बजट प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( बी0बी0 सिंह )
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-105/26-3-ए0पी0-2012-10(02)/2012, दिनांक 29 मार्च, 2012 का संलग्नक

## पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0

## सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में राज्यांश की स्वीकृति

**अनुदान संख्या–83**

| क्र.सं. | जनपद का नाम | राज्यांश की स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रुपयें में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | मेरठ | 3.07 |
| 2 | बागपत | 0.00 |
| 3 | गाजियाबाद | 13.17 |
| 4 | गौतमबुद्धनगर | 5.63 |
| 5 | बुलन्दशहर | 9.90 |
| 6 | सहारनपुर | 3.44 |
| 7 | मुजफ्फरनगर | 11.95 |
| 8 | आगरा | 0.00 |
| 9 | अलीगढ़ | 3.33 |
| 10 | हाथरस | 1.78 |
| 11 | एटा | 0.00 |
| 12 | मैनपुरी | 0.00 |
| 13 | मथुरा | 15.19 |
| 14 | फिरोजाबाद | 0.00 |
| 15 | कांशीरामनगर | 56.11 |
| 16 | बरेली | 4.41 |
| 17 | बदायू | 0.00 |
| 18 | पीलीभीत | 5.47 |
| 19 | शाहजहानपुर | 6.39 |
| 20 | मुरादाबाद | 0.00 |
| 21 | ज्योतिबाफूलेनगर | 0.00 |
| 22 | रामपुर | 9.09 |
| 23 | बिजनौर | 0.00 |
| 24 | लखनऊ | 0.00 |
| 25 | रायबरेली | 0.00 |
| 26 | हरदोई | 0.00 |
| 27 | उन्नाव | 0.00 |
| 28 | सीतापुर | 0.00 |
| 29 | लखीमपुर खीरी | 30.46 |
| 30 | फैजाबाद | 0.00 |
| 31 | अम्बेडकर नगर | 0.00 |
| 32 | सुल्तानपुर | 0.00 |
| 33 | बाराबंकी | 0.00 |
| 34 | गोण्डा | 0.00 |